न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	29.05.2024	04.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0

.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी निवासी सन्तोष नगर बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज. एफ.बी.ओ. मैसर्स ज्योति किराणा स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 7073356196
2–मैसर्स ज्योति किराणा स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक राज.।
3–श्री सत्येन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन निवासी जैल रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9636322719
4–मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक
5–श्री विशाल गिनोडिया पुत्र श्री मदन गोपाल गिनोडया निवासी 5393, सांभरियों का चौक, संजय मार्केट के पास, घाट गेट, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी–836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013
6–मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी–836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.।
7–श्री मदन गोपाल गिनोडिया पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी 5393, सांभरियों का चौक, संजय मार्केट के पास, घाट गेट, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी–836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013
8–मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी–836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.।

..........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 श्री तेजमल जैन
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 ता 8 श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.09.2023 को समय 02:00 पी.एम. पर मैसर्स ज्योति किराणा स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी अपने प्रतिष्ठान पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ दुकान की रैक में लगभग 45 मूल पॉली पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 200-200 ग्राम पैक **धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर डीए 12 एवं पैकिंग की दिनांक 01 मार्च 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 200-200 ग्राम के 12 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड)** 200-200 ग्राम के 12 मूल पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग-अलग प्रत्येक डिब्बे में 3-3 पॉली पेक रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3770 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3770 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगाशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रमेश कुमार सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी मैसर्स ज्योति किराणा स्टोर अन्नपूर्णा डूंगरी बमोर रोड टोंक जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स जैल रोड टोंक जिला टोंक का बिल पेश किया। मैसर्स अरिहंत ट्रेडर्स ने मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज. का एवं मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स ने मैसर्स गिनोडिया एग्रो जी-836 रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/971 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/3783/एक्ट/2023/3799 दिनांक 21.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं अप्रार्थी सं. 5 ता 8 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र उक्त नमूने में बहुत ही आंशिक मात्रा में हल्दी उपस्थित होने से उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर (लहर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0